

(28)

उत्तरांचल शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्या २०७(५)/VIII / २२८—श्रम टीसी—१/२००१
देहरादून दिनांक १० मई, २००५

अधिसूचना

राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (अधिनियम संख्या—11 सन् 1948) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (i) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) और उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और उत्तरांचल में यथा प्रवृत्त अधिसूचना संख्या 3595 / 36-3-4(एम०डब्ल०)-९० तारीख 28 नवम्बर, 1991 को अधिकांत करके एवं न्यूनतम मजदूरी समिति की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से (1) उत्तरांचल में लोक मोटर परिवहन (2) उत्तरांचल में यांत्रिक परिवहन कर्मशाला (3) उत्तरांचल में आटोमोबाइल रिपर्यर्स के नियोजित कर्मचारियों के लिये मजदूरी की न्यूनतम दरों को पुनरीक्षित कर निम्नवत निर्धारित करते हैं।

1. विभिन्न वर्ग के कार्य के लिए वयस्क कर्मचारियों को देय मूल मजदूरी की न्यूनतम दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार (1982=100) के 506 अंक पर निम्नलिखित होंगी:-



क्रमांक	कर्मचारियों की श्रेणी	देय मूल मजदूरी की न्यूनतम मासिक दरें
1	2	3
		रूपये प्रतिमाह
1-	अकुशल	2425.00
2-	अर्द्धकुशल	2820.00
3-	कुशल	3215.00
4-	लिपिक वर्गीय कर्मचारी— (क) श्रेणी - दो (ख) श्रेणी - एक	3380.00 3875.00

टिप्पणी :- कर्मचारियों का वर्गीकरण परिशिष्ट में दिखाया गया है।

2. परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता:-

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1982=100) के अंक 506 के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को 4.00 रूपया प्रति अंक की दर से समायोजित किया जायेगा और समायोजन क्रमशः प्रत्येक वर्ष अप्रैल और अक्टूबर में पूर्ववर्ती वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक और चालू वर्ष के जनवरी से जून तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर करते हुये परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

3. मजदूरी की दैनिक दर तत्समान मासिक दर के 1/26 से कम न होगी।

4. त्रिप्रतिष्ठाना मजदूरी की दर दैनिक दर के 1/6 से कम न होगी।

(5)

- २५
5. किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दर उसी श्रेणी के वयस्क कर्मचारी को लागू कालानुपाती दर से कम न होगी।
 6. ऐसे कर्मचारियों को जिनके कार्य के घण्टे विश्राम अन्तराल को सम्मिलित करते हुये एक दिन में 6 घण्टे या एक सप्ताह में 36 घण्टे से कम है, अंशकालिक कर्मचारी माना जायेगा और उनकी प्रतिघण्टा मजदूरी की दर तत्समान दैनिक दर के छटे भाग से कम नं होगी।
 7. मजदूरी की उपर्युक्त दरें किसी भी प्रकार किसी कर्मचारी के हितों के प्रतिकूल प्रवृत्त नहीं होंगी। यदि इन दरों के प्रवृत्त होने से पूर्व विद्यमान मजदूरी की दरें (जिसके अन्तर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि और जीवन निर्वाह भत्ता भी है) अधिक हैं, तो विद्यमान दर को जारी रखा जायेगा और उसका उसी प्रकार भुगतान किया जायेगा मानों उन्हें उक्त अधिनियम के अधीन मजदूरी को न्यूनतम दर के रूप में निश्चित किया गया हो और उन्हें किसी भी स्थिति में किसी नियोजक द्वारा कम नहीं किया जायेगा।
 8. यदि कोई नियोजक किसी कर्मचारी को वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का भुगतान पूर्व से कर रहा है, तो इस अधिसूचना के अनुसार समय-समय पर बढ़ने वाले परिवर्तनीय महगाई भत्ते के भुगतान के लिये वह तब तक बाध्य नहीं होगा, जब तक कि वर्तमान में निर्धारित मजदूरी और बढ़ी हुई परिवर्तनीय महगाई भत्ते की राशि, दी जा रही कुल धनराशि से ज्यादा न हो जाये। ऐसा होने पर नियोजक केवल उतने अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जितना न्यूनतम मजदूरी में उक्त वृद्धि के द्वारा वास्तव में भुगतान की जा रही मजदूरी से अधिक होगा।

उदाहरण :-

यदि किसी निश्चित तारीख को अधिसूचना के अनुसार किसी कर्मचारी का मूल वेतन 2500.00 रुपया है और महगाई भत्ता 100.00 रुपया है और इस प्रकार कुल मिलाकर न्यूनतम मजदूरी 2600.00 रुपया होती है और उस दिन किसी नियोजक द्वारा उक्त श्रेणी के कर्मचारी को 2550.00 रुपया प्रतिमाह मजदूरी दी जा रही है तो बढ़े हुये परिवर्तनीय महगाई भत्ते के भुगतान की बाध्यता तब तक नहीं होगी जब तक परिवर्तनीय महगाई भत्ते के समायोजन की तारीख को मूल वेतन और महगाई भत्ता मिलाकर 2550.00 रुपया से अधिक न हो जाए। ऐसा होने पर नियोजक केवल 50.00 रुपया के अंतर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

9. जहां किसी श्रेणी का कार्य मात्रानुपाती दर के आधार पर किया जाता है, वहां विशिष्ट प्रकार के कार्य के लिये विहित कालानुपाती दर प्रत्याभूत मात्रानुपाती दर होगी अर्थात् नियोजक मात्रानुपाती दर पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को ऐसी मजदूरी देगा जो न्यूनतम कालानुपाती दर से कम न हो।
10. ऊपर दी गयी मजदूरी की न्यूनतम दर के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (१) के खण्ड (ख) के अधीन यथा अनुध्यात विश्राम दिन के सम्बन्ध में पारिश्रमिक भी सम्मिलित है।
11. यदि नियोजक द्वारा प्रतिष्ठान का कोई कार्य ठेका श्रम के माध्यम से कराया जा रहा है, तो ऐसे ठेका श्रमिकों को भी नियोजक द्वारा सीधे नियोजित श्रमिकों की तरह/बराबर/समान इस अधिसूचना के पैरा 1 और पैरा 2 में अनुमन्य निर्धारित न्यूनतम मजदूरी (परिवर्तनीय महगाई भत्ता सहित) का भुगतान किया जायेगा।

परिशिष्ट 1— अकुशल :-

अर्दली, भिरती, मोची, चेम्बर सेवक, कोषागार चपरासी, गाड़ी धोने वाला, लोडर्स, अनलोडर्स, स्टोर मजदूर, हज्जाम, कुली, आफिस ब्याय, चौकीदार, सफाई मजदूर, पेट्रोल पम्प अटेन्डेन्ट और इसी प्रकार का कार्य करने वाले कोई अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

2— अर्द्धकुशल :-

ग्राइन्डर, बोरिंग मैन, सहायक पेन्टर, रेडियेटर रिपेयरर, वेल्डर, लोहार, सहायक फीटर, सहायक मैकेनिक, कण्डकटर, दफतरी, जमादार, बण्डल उठाने वाला, दफादार और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

3— कुशल :-

सर्विस मैन, वर्कशाप सुपरवाईजर, मैकेनिक, ड्राईवर, टर्नर, फ्यूल इंजक्शन, पंच मैन, पेन्टर, फीटर, इलेक्ट्रिशियन, लेथ मैन, एयर कण्डीशनर मैकेनिक, गेट सार्जन्ट, टीनकार, कम्पाउण्डर, पर्यवेक्षक, सहायक स्टोर कीपर, बढ़ई, बल्कनाइजर, सोफासाज और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

4— लिपिक वर्गीय कर्मचारी :-

(क) लिपिक श्रेणी — दो:- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिसे प्रतिष्ठान में कार्य करते हुये 5 वर्ष न पूरे हुये हों।

लेखाकार, सहायक लेखाकार, कलर्क कम टाईपिस्ट, मेला मैन, एकाउंट कलर्क, आउट ऐजेन्सी कलर्क, कैशियर, असिस्टेन्ट गोडाउन कीपर, अधीक्षक प्राप्ति और प्रेषण, स्टोर कीपर, प्रगति जांच कर्ता, केन्द्र प्रभारी (स्टेशन इंचार्ज/मास्टर), यातायात निरीक्षक, समयपाल और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

(ख) लिपिक श्रेणी — एक:- न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और प्रतिष्ठान में कार्य का 5 वर्ष का अनुभव हो।


यातायात अधीक्षक, स्टेशर अधीक्षक, प्रबंधक, वर्क्स इंचार्ज, ओवरसियर, फोरमैन, हेड कलर्क, आशुलिपिक, ज्येष्ठ लेखाकार, नक्शा नबीस, गोडाउन कीपर, हेड रोकड़िया, स्टोर अधीक्षक और इसी प्रकार का कार्य करने वाले अन्य कर्मचारी, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाय।

आज्ञा से,

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: २०१ (५) /VIII/228—श्रमटीसी-१/2005 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, इलाहाबाद।
2. श्रमायुक्त, उत्तरांचल, हल्द्वानी।
3. अपर श्रमायुक्त/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल, देहरादून।
4. उप श्रमायुक्त, उत्तरांचल, देहरादून/हल्द्वानी।
5. उप-निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को उपरोक्त अधिसूचना को राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(सोहन लाल)
अपर सचिव।